कार्यालय जनपद पंचायत कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

क्रमांक 3404 /शि.क.स्था/ज.पं./2012-13 कुनकुरी, दिनांक 7 /12/2012

अपर मुख्य सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/ पंचा.-295/पं.ग्रा.वि.वि./22/1649 रायपुर, दिनांक 26.11.2012 एवं उप सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर के क्रमांक/पंचा-295/पं.ग्रा.वि.वि./22/2012/1590 रायपुर दिनांक 22.11.2012 के द्वारा जारी छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2012 एवं यथाशंसोधित नियम में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार तथा समय-समय पर प्रकाशित नियमों के अधीन जनपद पंचायत कुनकुरी जिला जशपुर में आ.जा.क. विभाग स्कूल शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं/संस्थाओं में निम्नानुसार सहायक शिक्षक (पंचायत) के विषय रिक्त पद की पूर्ति हेतु इच्छुक जशपुर जिला के अभ्यर्थियों से दिनांक 21.12.2012 सायं 5.00 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में आंमत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। डाक में विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

सहायक शिक्षक (पंचायत)

क्र.	विषय का नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार					(ब) कॉलम(अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से आरक्षित महिला पदों की संख्या					(स) कॉलम(अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या					(द) कॉलम(अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों की संख्या					(इ) कॉलम(अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या				
		UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	Total
1	विज्ञान संकाय	1	1	3	1	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5
	योगः-	1	1	3	1	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5

टीप - 1. UR=अनारक्षित, SC=अनुसूचित जाति, ST=अनुसूचित जनजाति, OBC=अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर क्रीमीलेयर)

2. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जिसके लिये जनपद पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।

3. कार्यालीय पत्र कमांक/1803/ज.पं./शिक्षा स्था./2012-13 कुनकुरी, दिनांक 05.09.2012 के द्वारा सहायक शिक्षक (पंचायत) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन किया गया था। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 17.09.2012 निर्धारित थी तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पूर्व में जमा किया गया है उन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है। नवीन संशोधन नियम के तहत् पुनः आवेदन पत्र जमा करना होगा।

विभागीय नियम एवं शर्तें

(1) वेतनमान रूपये - सहायक शिक्षक (पंचायत) के लिये वेतनमान 3800-100-5800

(2) पात्रता की शर्तें :- सहायक शिक्षक (पंचायत) के लिये - उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण, डी. एड. परीक्षा उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किये गये दिशा निर्देश अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।

डी.एड. के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शैक्षिक अर्हता में से छूट मानी जायेगी। वाणिज्य, कृषि एवं होम साइंस विषय को कला संकाय में मान्य किया जायेगा।

2.1 **आवेदक जिला जशपुर का मूल निवासी होना अनिवार्य है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश प्रभावशील होगा।**

2.2 कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

2.3 कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

2.4 छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा)

2.5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र के साथ में छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(3) आयु सीमा – दिनांक 01 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये समय–समय पर आयु सीमा में प्रदान की गयी सभी प्रकार के छूट सहायक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिये भी लागू होगी।

3.1 विकलांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 40 प्रतिशत एवं उससे उपर के अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार लाभ दिया जायेगा तथा कुल आरक्षित पद में 02 प्रतिशत श्रवण बाधित, 02 प्रतिशत दृष्टि बाधित एवं 02 प्रतिशत अस्थि बाधित को लाभ दिया जायेगा।

(4) **भर्ती का तरीका :–**

4.1 छ.ग. सहायक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के तहत मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की जावेगी। प्रमाण–पत्र के आधार पर आवेदकों के वरीयता (मेरिट) को निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा।

सहायक शिक्षक (पंचायत) हेतु

4.2
(अ) कक्षा 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर	– 20 अंक
.(ब) कक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर	– 50 अंक
(स) डी.एड/बी.एल.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर	– 15 अंक
(द) टी.ई.टी परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर	– 15 अंक

4.3 चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनपद पंचायत का होगा।

4.4 चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.5 चयन उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

4.6 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

4.7 चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी। जिसे कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है इसके पश्चात् भी संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

4.8 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निर्धारित योग्यता पूर्ण होना चाहिए। उसके पश्चात् प्राप्त की गई योग्यता को मान्य नहीं किया जावेगा।

(5) **आवेदन पत्र जमा करने तरीका –**

आवेदक को आवेदन पत्र जनपद पंचायत के द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार कर डाक घर के माध्यम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुनकुरी को प्रेषित किया जावेगा। आवेदन पत्र जनपद पंचायत में सीधे प्राप्त नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के ऊपर सहायक शिक्षक (पंचायत) के लिए आवेदन लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के ऊपर ही जिस विषय के लिये आवेदन किया जा रहा है उस विषय का नाम एवं संकाय अंकित करना अनिवार्य होगा।

5.1 आवेदक को स्वयं का पत्र व्यवहार पता लिखा हुआ एक लिफाफा जिसमें 5.00 रूपये का डाक टिकट लगा हो आवेदन के साथ जमा करना होगा।

(6) सहायक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु पदों का आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम सन् 1994 (सरल क्रमांक 21) के उपबंधों के अनुसार होगा। महिला/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थी से पदों को भरा जावेगा।

(7) आवेदक को आवेदन पत्र जनपद पंचायत के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ अभिप्रमाणित फोटाग्राफ, शैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति, रोजगार पंजीयन, विकलांगता, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद पंचायत कुनकुरी के सूचना पटल पर देखा जा सकेगा।

(8) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा किसी भी अन्य विभाग के द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त या ब्लैक लिस्टेड किया हुआ व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

(9) किसी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण–पत्र /दस्तावेज नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है अतः अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण पत्र संलग्न कर असत्य अभिकथन न करें। किसी भी समय चाहे नियुक्ति के पूर्व हो या नियुक्ति पश्चात् आवेदन पत्र गलत अभिकथन/उद्घोषणा करना अथवा जांच में असत्य प्रमाण पत्र /दस्तावेज पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की दावेदारी/नियुक्ति निरस्त कर आरक्षी केन्द्र में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।

(10) सहायक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का चयन/नियुक्ति शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देश के तहत की जावेगी, जो बंधनकारी रहेगा।

(11) आवेदन जमा करते समय समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा तथा पृथक से कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावेगा।

(12) **आरक्षण नीति – आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हित अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत कुनकुरी

पृ.क्रमांक 3404/शि.क.स्था./ज.पं./2012–13 कुनकुरी, दिनांक 8 /12/2012

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर को सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुनकुरी की ओर सूचनार्थ।
7. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
9. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. जिला रोजगार अधिकारी, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
11. जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, जशपुर, (छ.ग.) को सूचनार्थ।
12. उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
13. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय, जिला–जशपुर (छ.ग.) को मय सी.डी. सहित प्रेषित हे कृपया वेबसाईड में उपलोड करने की कृपा करें।
14. जिला सूचना एवं प्रद्यौगिकी अधिकारी, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फरसाबहार/ पत्थलगांव/दुलदुला/बगीचा/ मनोरा/ जशपुर कांसाबेल /को भेजकर निवेदन है कार्यालय के सूचना फलक में चस्पा करने की कृपा करें।
16. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कुनकुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत कुनकुरी

सहायक शिक्षक (पंचायत) हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत कुनकुरी

आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1.. विषय का नाम (जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है) :– ....

2. आवेदक का पूरा नाम :– ....

3. पिता / पति का नाम :– ....

4. जाति (अजा / अजजा / अ.पि.व. / सामान्य) :– ....

5. लिंग :– ....

6. जन्म तिथि :– दिन.................माह...............वर्ष..................

7. 01 जनवरी 2013 को आयु :– वर्ष......................माह...............दिन...............

8. स्थायी निवास का पता :– ....
:– ....
:– ....

9. पत्र व्यवहार का पता :– ....
:– ....
:– ....

10. राष्ट्रीयता :– ....

11. मूल निवास / जन्म स्थान :– ....

12. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता / अन्य योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में पूर्णांक	परीक्षा में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कक्षा 10वीं					
2	कक्षा 12वीं					
3	डी.एड. / बी.एड.					
4.	टी.ई.टी.					

13. बी.एड. / डी.एल.एड. योग्यता :– :– ....

14. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक :– ....

15. विकलांगता (हां / नहीं) :– ....
(यदि हां तो विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत) :– ....

16. यदि भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका विवरण :– ....

17. संलग्न दस्तावेजों की सूची :– ....
(जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जा रही है उसका भलीभांति मिलान करें एवं संलग्न करें)

क्र.	संलग्न दस्तावेज का नाम	संख्या	रिमार्क
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

18 मो.नं. यदि (यदि हो तो) :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा – पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा किसी भी अन्य विभाग के द्वारा अवचार का दोषी/निलंबित/बर्खास्त/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। मुझे यह स्वीकार है कि इसमें दी गई कोई जानकारी या सूचना गलत/असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीद्वारी रद्द या निरस्त की जावेगी। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है। तथा मेरे विरूद्ध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

(पूरा नाम व पता)